

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन शाखा)

प० सं०-14/डी०एल०ए०, एस० एस० बी०-मधुबनी-13/13-31.07/रा०. पटना-15, दिनांक-31/12/2013

अधिघोषणा

145

संख्या-...../डी.एल.ए.मधुबनी/2012...../भू-अर्जन दिनांक.....

चूंकि अपर समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि गाँव -पिपरौन थाना न०-22 थाना-बेनीपट्टी अंचल -हरलाखी परगना भाला जिला-मधुबनी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् एस०एस०बी० कैम्प पिपरौन स्थापनार्थ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँवपिपरौनके भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश रकवा 02-74-एकड़ होता है। अर्जनाधीन भूमि की सूची निम्न प्रकार है -खेसरा पुर्ण नं०-3536,3534,3560,3567,3561,3568,3569,3570, 3571, 3573, 3535 एवं अंश खेसरा नं०-3559,3550,3537,3527,3528,3533,3562,3566,3574,3599,3600

-: सीमा सूची :-

उत्तर:-खेसरा नं०- 3601, 3566,3562, और 3559

दक्षिण:-खेसरा नं०-3528, 3527, 3537, 3538, 3550,3558, और 3557

पूरब:-खेसरा नं०-3559, 3615, (सड़क) 3558, 3555 और 3554

पश्चिम:- खेसरा नं०-3600, 3599, 3574, 3533, और 3528

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा,पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिज की खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा(6) और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1)के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)

सरकार के सचिव

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
मधुबनी

अपर समाहर्ता
मधुबनी

समाहर्ता
मधुबनी

ज्ञापांक- 31.07/रा०/ भू-अर्जन, पटना, दिनांक-31-12-13

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सर्मक निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सिडी सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानिय भाषा में हो एवं कतरण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को 5 प्रति प्रकाशित गजट की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, मधुबनी/ अपर समाहर्ता, मधुबनी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कमांडेन्ट एस.एस.बी. जयनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव